

कार्यालय महालेखाकार(लेखा व हक) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-जी.डी.स्टोर/नेम प्लेट/के-17/वो.2/2023-24 दिनांक:-29-08-2023

मैसर्स.....

.....

विषय:-नेम प्लेट एवं मोहरें बनवाने के कार्य हेतु सीमित की निविदा आमंत्रण बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय उपयोग हेतु नेम प्लेट व मोहरें बनवाने कार्य हेतु सीमित निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदाएँ दिनांक 04.09.2023 को सांय 3.00 बजे तक प्राप्त कर कार्यालय द्वारा गठित क्रय समिति द्वारा उसी दिन सांय 3.30 बजे खोला जाना है।

कार्य का विवरण व शर्तें निम्न प्रकार हैं।

नेम प्लेट का विवरण:-

क्र.सं.	नेम प्लेट का प्रकार	भाषा	नेम प्लेट की साइज़	दरें(कर सहित)
01.	वुडन प्लेट पर गोल्डन ब्रास अक्षर	द्विभाषीय(हिंदी एवं अंग्रेजी)	18*7 इंच	प्रति अक्षर
02.	एक्रेलिक सीट पर उभरे गोल्डन एक्रेलिक अक्षर	द्विभाषीय(हिंदी एवं अंग्रेजी)	12*8 इंच	प्रति अक्षर
03	एक्रेलिक सीट पर गोल्डन अक्षर पेस्ट करना	द्विभाषीय(हिंदी एवं अंग्रेजी)	12*8 इंच	प्रति नग
04.	वुडन बोर्ड पर गोल्डन अक्षरों से नाम व वर्ष पेस्ट करना	हिंदी	-----	प्रति लाइन

मोहरों का विवरण:-

क्र.सं.	मोहर का प्रकार	भाषा	दरें(कर सहित)
01	सेल्फ इंक सील बड़ी	द्विभाषीय(हिंदी एवं अंग्रेजी)	प्रति नग
02	सेल्फ इंक सील छोटी	द्विभाषीय(हिंदी एवं अंग्रेजी)	प्रति नग
03	रबर की मोहर बड़ी	द्विभाषीय(हिंदी एवं अंग्रेजी)	प्रति लाइन
04	रबर की मोहर छोटी	द्विभाषीय(हिंदी एवं अंग्रेजी)	प्रति लाइन
05	सन स्टाम्प बड़ी	द्विभाषीय(हिंदी एवं अंग्रेजी)	प्रति नग
06.	सन स्टाम्प छोटी	द्विभाषीय(हिंदी एवं अंग्रेजी)	प्रति नग

निविदा के नियम व शर्तें:-

(1). निविदा को सील बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से **नेम प्लेट एवं मोहर हेतु निविदा** लिखा हो, को वरि.लेखाधिकारी/जी.डी के कक्ष में रखे हुए बॉक्स में निर्धारित तिथि एवं समय तक डालना होगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

- (2). नेम प्लेट एवं मोहर का नमूना कार्यालय के जी.डी.स्टोर अनुभाग में कार्य दिवस के दौरान देखा जा सकता है।
- (3). निविदा की दरें सभी करों सहित होनी चाहिए।
- (4). उक्त कार्य अनुबंध अवधि के दौरान समय-समय पर आवश्यकता अनुसार करवाया जावेगा जिसका कार्यादेश जारी होने के 03 दिवस के अन्दर सामग्री को इस कार्यालय के जी.डी.स्टोर अनुभाग को पहुंचाना होगा।
- (5). सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा को बिना कोई कारण बताए निरस्त किया जा सकता है।
- (6). किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर, राजस्थान होगा।

हस्ता./-

वरि.लेखाधिकारी/जी.डी